

विज्ञप्ति / प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृति आदेश

शा0सं0 सं0-150 / XXVII-नवसृजित / 2019-09(04) / 2017 दिनांक 06-09-2019 के प्राविधानों के अनुसार जिला स्तरीय गठित चयन समिति की संस्तुति पर सातवें वेतनमान के शासनादेश सं0 290 दिनांक 28.12.2016 के द्वारा एवं शासन के कार्यालय ज्ञाप/शुद्धि पत्र 674 / XXVI-नवसृजित / 2019-09(04) / 2017 दिनांक 08.09.2019 द्वारा दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित वेतन संरचना के अनुसार निम्नलिखित स0अ0एल0टी0 वेतनमान में 22 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयन वेतन मैट्रिक्स 53100-167800 -लेबल-09 (पूर्व में ग्रेड वेतन 5400) की स्वीकृति प्रदान की जाती है। स्नातक वेतनक्रम प्रोन्नत वेतनमान रू0 53100-167800 ग्रेड वेतन 5400.00 कॉलम सं0 6 में देय तिथि के अनुसार इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत किया जाता है कि सम्बन्धित अध्यापकों को प्रोन्नत वेतनमान देय होने से पूर्व उच्च पद पर पदोन्नति प्राप्त नहीं हुई हो अथवा पदोन्नति पर जाने के लिए असहमति व्यक्त न की गई हो। विपरीत तथ्य पाये जाने पर स्वीकृत प्रोन्नत वेतनमान बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी समाप्त किया जा सकता है। स्वीकृत प्रोन्नत वेतनमान सम्बन्धित अध्यापकों को वैयक्तिक रूप से देय होगा।

क्र0 सं0	शिक्षक/शिक्षिका का नाम	पदनाम	विद्यालय का नाम	नियुक्ति तिथि	चयन वेतनमान देय होने की तिथि	ग्रेड वेतन/लेवल
1	2	3	4	5	6	
01	श्री महेश राम टम्टा	स0अ0एल0टी0	रा0इ0का0 कानेखलपाटी, अल्मोड़ा	25.11.1999	25.11.2009	25.11.2021
02	श्री आनन्द सिंह	स0अ0एल0टी0	रा0इ0का0 रघुलीपीपल, अल्मोड़ा	10.01.2000	10.01.2010	10.01.2022

(सत्य नारायण)  
मुख्य शिक्षा अधिकारी,  
अल्मोड़ा

पृ0सं0 11502-08 / प्रबन्ध-2 / प्रोन्नत वेतनमान / 2022-23

दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि - निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- अपर शिक्षा निदेशक, मा0शि0, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य कोषाधिकारी अल्मोड़ा / सम्बन्धित कोषाधिकारी, जनपद अल्मोड़ा।
- वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा, अल्मोड़ा।
- समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद अल्मोड़ा
- सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी / प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक / प्रधानाध्यापिका / रा0इ0का0 / रा0उ0मा0वि0..... को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वेतन निर्धारण से पूर्व सुनिश्चित कर ले कि सम्बन्धित अध्यापक की प्रथम नियुक्ति किस पद पर हुई है एवं किसी भी प्रकार से वित्तीय नियमों का पालन राजाज्ञानुसार न होने एवं विपरीत तथ्य पाये जाने पर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये अन्यथा सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा। यदि सम्बन्धित अध्यापक द्वारा कमशः 10 वर्ष व 22 वर्ष की सेवा में देय अवकाश के अतिरिक्त अनियमित अवकाश लिया हो एवं नियुक्ति के पश्चात बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के स्नातक / स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की हो और न्यायालय में वाद दायर किया हो / प्रतिकूल प्रविष्टि मिली हो एवं विलुप्त न हुई हो, चयन / प्रोन्नत प्राप्त होने की तिथि से पूर्व पदोन्नति हुई हो एवं मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक / स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण न होने की स्थिति में एवं भविष्य में विपरीत तथ्य उद्घाटित होने पर नियमानुसार प्रशासनिक कार्यवाही के साथ प्रदत्त स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी। नान पी0जी0 के सम्बन्ध में स्वीकृति से पृथक कार्यवाही होने पर निर्णय सम्बन्धित आदेश के अधीन रहेगा एवं नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। वित्तीय अनियमितता उद्घाटित होने पर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आहरण वितरण अधिकारी / प्रधानाचार्य का होगा, प्रधानाचार्य यह भी सुनिश्चित कर लें कि स्वीकृति तिथि को सम्बन्धित अध्यापक की स्नातक की अर्हता अनिवार्य रूप से होनी चाहिए अन्यथा प्रदत्त स्वीकृति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।
- सम्बन्धित अध्यापक।

मुख्य शिक्षा अधिकारी,  
अल्मोड़ा